न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–262 / 2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सुरेश साह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/3/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–926 / म0नि0को0 दिनांक–26.09.2019 से प्राप्त सिमरी थाना कांड सं0–134 / 19 दिनांक 22.08.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त दो वाहन (1) टाटा टोयोटा जिसका रजि0 नं0–WB-02T-8851 एवं (2) अपाची मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–BR06BQ-5769 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी वाहन सं0–BR06BQ-5769 नन्दु कुमार राय की ओर से कारण पृच्छा दाखिल हैं, तथा विपक्षी वाहन स्वामी वाहन सं0–WB-02T-8851 के नाम / पता हेतु जिला परिबहन पदाधिकारी, दरभंगा को पत्र निर्गत है, जो अद्यतन अप्राप्त है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा समकालीन अभियान एवं लंबित कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी के क्रम में जब जलवार गाँव में थे तो गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध गाड़ी घने गाछी में छुपे हुए है, जो दुर्गा मंदिर के पीछे है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम जलवार से घने गाछी के तरफ प्रस्थान किये। ज्योंहि दुर्गा मंदिर पहुँचे कि कुछ व्यक्ति इधर–उधर भागने लगे। तत्पश्चात अन्य ग्रामीण भी पहुँचे। भाग रहे व्यक्ति को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम / पता पूछा गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष टोयोटा गाड़ी WB-02T-8851 की तलाशी ली गयी, तो पीछे के डिक्की को खोलने पर 06 कार्टून 180*ml* का 288 बोतल एवं बीच के सीट पर 180*ml* का 117 बोतल कुल 405 बोतल में 72.900 लीटर केसिनो प्राईड व्हिस्की तथा अपाची मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR06BQ-5769 जिस पर ब्लु ब्लेजर 750*ml* का 12 बोतल, जो पीछे के सीट पर बंधा हुआ था, बरामद हुआ, जिसे विधिवत् उक्त वाहनों के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी BR06BQ-5769 (नन्दु कुमार राय) की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन अपाची मोटरसाईकिल के वास्तविक स्वामी हैं। विपक्षी के वाहन से कुछ बरामद नहीं हुआ है। विपक्षी का उक्त वाहन सिमरी थाना में खुले आसमान में रखा हुआ है, जिससे विपक्षी को नुकसान हो रहा है। विपक्षी पर अवैध शराब के परिवहन का आरोप है, परन्तु उक्त मोटरसाईकिल से कुछ बरामद नहीं हुआ है। अतः विपक्षी के वाहन को मुक्त करते हुए विपक्षी को हस्तगत कराने की कृपा की जाय, इसके लिए विपक्षी प्रतिभूति, अंडर टेकिंग देने को तैयार है।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन टोयोटा रजि0 नं0–WB-02T-8851 से भारी

मात्रा में कुल 405 बोतल 180*ml* का अवैध शराब तथा अपाची मोटरसाईकिल वास्तविक रजि0नं0–BR06BQ-5769 के सीट पर बंधा हुआ 750*ml* का कुल 12 बोतल अवैध शराब बरामद हुआ है, जो चौर्य व्यापार के नीयत से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी BR06BQ-5769 (नन्दु कुमार राय) की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त मोटरसाईकिल से कुछ बरामद नहीं हुआ है, सत्य से परे है। जबकि दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त मोटरसाईकिल के सीट पर बंधा हुआ 750*ml* का कुल 12 बोतल अवैध शराब बरामद हुआ है, टोयोटा गाड़ी के स्वामी का नाम/पता हेतु जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा को निदेशित किया गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिमरी थाना कांड सं0–134/19 दिनांक 22.08.2019 में जब्त एक वाहन अपाची मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR06BQ-5769 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ जब्त मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR06BQ-5769 की कार्यवाही समाप्त की जाती है, तथा एक अन्य वाहन टोयोटा रजि0नं0–WB-02T-8851 की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख पुनः दिनांक .... को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा